भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 552

03 दिसंबर, 2025 के लिए प्रश्न

भरतपुर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली

552. श्रीमती संजना जाटव:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार राजस्थान के भरतपुर जिले में विशेषकर वंचित समुदायों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों के संचालन, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और इसके कवरेज में आ रही समस्याओं से अवगत है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा जिले में निगरानी में सुधार करने, वस्तुओं के दुरुपयोग को रोकने और राशन की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो पीडीएस प्रणाली में खामियों के क्या कारण हैं, जो खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर रहे हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ग): लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के अंतर्गत शासित होती है और इसका संचालन केंद्र तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अंतर्गत होता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्यान्न आवंटन, पात्र लाभार्थियों की पहचान, उन्हें राशन कार्ड जारी करना, टीपीडीएस के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण, उचित दर दुकान के डीलरों को लाइसेंस जारी करना, उचित दर दुकानों (एफपीएस) के कामकाज की निगरानी और पर्यवेक्षण आदि की परिचालनात्मक जिम्मेदारियाँ संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की होती हैं।

राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि भरतपुर जिले में 2,10,329 परिवार (9,58,135 इकाइयाँ), जो (2011 की जनगणना के अनुसार) कुल जनसंख्या का 64.92% हिस्सा हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत शामिल हैं। लाभार्थियों की उचित पहचान, निर्धारित एफसीआई डिपो से समय पर खाद्यान्न का उठान, उचित दर दुकानों तक उसकी पहुँच और वंचित समुदायों सहित पात्र लाभार्थियों को वितरण के माध्यम से कुशल सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) संचालन किया जा रहा है।

...2/-

सभी राशन कार्ड इकाइयों की ई-केवाईसी और राज्य सरकार के स्वैच्छिक त्याग अभियान के माध्यम से, अवैध और गलत प्रविष्टियों को हटा दिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) संचालन में दक्षता बनाए रखने के लिए, वांछित मात्रा का आवंटन, समय पर खाद्यान्न का उठान, अपात्र परिवारों को हटाकर पात्र व वास्तविक परिवारों को शामिल करना, ई-पीओएस मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन, बहु-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र और शिकायतों का समय पर निपटान जैसे उपायों के माध्यम से जिले में योजना सुचारू रूप से चल रही है। जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन में किसी भी प्रकार की कमी का कोई प्रमाण सामने नहीं आया है। इसलिए, जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) कुशलतापूर्वक संचालित हो रही है और पात्र लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है।

*****